[Extract from Haryana Government Gazette, dated th 2009]

हरियाणा सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 अगस्त, 2009

क्रमांक 1719-एस०डब्ल्यू०(3).—7 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना क्रमांक 1710 एस०डब्ल्यू०(3)-2007 के अधिक्रम में तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 8 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत हरियाणा के राज्यपाल, जिला मेवात, करनाल, रोहतक, सिरसा, गुड़गांव, अम्बाला, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, फरीदाबाद, रिवाड़ी, कैथल, यमुनानगर, झज्जर, जीन्द, पानीपत, हिसार, पंचकूला, महेन्द्रगढ़, फतेहाबाद में दिनांक 17 नवम्बर, 2008 से तीन वर्षों के कार्यकाल हेतु संविदा आधार पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (पीपीओ) की नियुक्ति करते हैं। संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी उक्त अधिनियमों तथा उनमें निहित नियमों के अन्तर्गत अपने संबंधित जिला क्षेत्र में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अपने कर्त्तव्यों का पालन करेगा। जिला फरीदाबाद का पीपीओ फरीदाबाद तथा पलवल जिले में अपनी शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

शकुंतला जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग।

चण्डीगढ़
दिनांक 9 जून, 2009

46174—C.S.—H.G.P., Chd